जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/ak/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 28 अगस्त 2021

अवैध खनन के विरुद्ध आमजन

भाग-2

खान विभाग में पोपाबाई का राज!!!

रिश्वत प्रकरण में 2.5 साल तक फरार रहे खनिज अभियंता को लगाया मलाईदार फील्डपोस्टिंग पर!

बीकानेर की बड़ी खनन कंपनी के अवैध खनन पर पर्दा डालने के लिए बीकानेर के खनिज अभियंता गलत रिपोर्ट देकर सरकार को कर रहे गुमराह!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

अवैध खनन से राज्य सरकार को लग रहा करोड़ो रुपयों सालाना चुना!!

तकनीक का सहारा : अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, ₹30 करोड़ का जुर्माना

ड्रोन ने खोला अवैध खनन व ई-रवन्ने में गड़बड़ी का खेल, 44 लीजों पर रोक

भास्कर न्यूज | जयपुर

खान विभाग में अवैध खनन की रोकथाम के लिए ड्रोन से निगरानी एक बड़ी भूमिका में आ गई है। हाल ही में विभाग के इंजीनियरों ने गोटन नागौर में ड्रोन से अवैध बजरी खनन की मॉनिटरिंग के जरिए बड़ी गड़बड़ी पकड़ी और 44 खनन लीज के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इन लीजों पर खनन कार्य भी बंद करवा दिया है। लीजधारकों को एक महीने में जुर्माना राशि जमा कराने का समय दिया गया है। समय पर जुर्माना नहीं होने पर लीज निरस्त करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

नेताओं के मुखर होने के बाद से एक्शन में आया खान विभाग

प्रदेश में अवैध खनन को लेकर हाल ही में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता मुखर हुए हैं। इन नेताओं के विरोध के बाद से ही विभाग लगातार एक्शन में है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत ने एक बैठक में अवैध खनन का मुद्दा उठाया, तो इसके बाद विभाग अवकाश के दिन ही एक्शन में आ गया है। विभाग अब ड्रोन से सर्वे और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करके एक्शन लेने की रणनीति पर भी फोकस है।

ऐसे समझें गड़बड़ी का खेल

विभाग के अनुसार नागौर गोटन में एक जगह 46 लीज पट्टे हैं। इनकी मॉनिटरिंग ड्रोन से कर गड्ढों का क्षेत्रफल नापा गया। इसके बाद लीजधारक द्वारा जारी किए गए ई-रवन्नों की पड़ताल की गई। गड्ढों की गहराई और ई-रवन्नों की क्रॉस पड़ताल में सामने आया कि लीजधारकों ने अपने ई-रवन्ने अवैध बजरी खनन के लिए दूसरों को बेचे थे। यानी की दूसरी जगह के अवैध खनन को वैध बनाया था। इन 46 की पड़ताल में 44 के यहां गड़बड़ी मिलने पर करीब 30 करोड़ रु. का जुर्माना लगाकर खनन बंद करा दिया गया है।

जयपुर में सप्लाई हो सकती है प्रभावित

इन 46 लीजों के बंद होने से जयपुर में बजरी सप्लाई मामूली रूप से प्रभावित हो सकती है। हालांकि विभाग के इंजीनियरों का मानना है कि जयपुर में कमी आई तो टोंक, कोटड़ी, भीलवाड़ा आदि जगहों की सप्लाई से भरपाई हो जाएगी।

आदेश: अनुमोदित जगहों से जारी हो ई-रवन्ना

एसीएस सुबोध अग्रवाल के निर्देश के बाद प्रदेशभर में इंजीनियरों ने खनन संचालकों को नोटिस जारी करके अनुमोदित स्थान से ही ई-रवन्ना के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अवैध खनन के परिवहन पर लगाम लगें और सीधे तौर पर अवैध थम जाएगा।

जैसा कि आप को पता है कि राजस्थान मे खनन माफिया संगठित रूप से एक समानान्तर व्यवस्था चला रहा है,इस समानान्तर व्यवस्था मे पुलिस,खान विभाग,राजनेताओं,खनन माफिया,खनन व्यवसाय से जुड़ी छोटी-बड़ी सभी कंपनियों की अपनी एक भूमिका है|ऐसा नहीं है कि अवैध खनन राज्य के किसी एक जिले से संबन्धित हो,अब तो यह समस्या राज्य के सभी जिलो और कस्बो मे पैर पसार चुकी है|राजस्थान मे अवैध खनन से जहां पर्यावरण को नुक्सान पहुच रहा है वही अवैध खनन से मानव जीवन को हानि पहुचाने के साथ साथ राजस्व को भी करोड़ो रुपयों की सालाना हानि हो रही है|

खनिज विभाग का दावा;आधुनिक तकनीक से लगा रहे अवैध खनन पर लगाम!!!

राजस्थान सरकार के खान विभाग के दावे के अनुसार राज्य मे बढ़ते अवैध खनन के मामलों के चलते अब ड्रोन के द्वारा अवैध खनन पर लगाम लगाने की तैयारियां की जा रही है|विभाग के अनुसार नागौर गोटन मे चल रही 46 खनन पट्टों की मॉनिटरिंग ड्रोन से कर गड्डों का क्षेत्रफल नापा गया इसके बाद लीजधारक द्वारा जारी किए गए ई रवन्ना पत्रों की पड़ताल की गयी गड्डों की गहराई और ई रवन्नो की क्रॉस पड़ताल मे सामने आया कि लीजधारकों ने अपने ई रवन्ने अवैध खनन के लिए दूसरों को बेचे है|यानि कि दूसरी जगह के अवैध खनन को वैध बनाया गया था|इन 46 की पड़ताल मे 44 के यहाँ गड़बड़ी मिलने पर करीब 30 करोड़ का जुर्माना लगाकर खनन बंद करवाया गया|

एसीएस के आदेश;अनुमोदित जगहों से जारी हो ई रवन्ना|

एसीएस सुबोध अग्रवाल के निर्देश के बाद प्रदेशभर मे इंजीनियरों ने खनन संचालकों को नोटिस जारी करके अनुमोदित स्थान से ही ई रवन्ना जारी करने के निर्देश दिये है ताकि अवैध खनन के परिवहन पर लगाम लगे|

खान विभाग के लाख प्रयासों के बावजूद बीकानेर के छोटी नाल क्षेत्र मे एक बड़े खान मालिक का अवैध खनन बेलगाम,अवैध खनन की शिकायतों पर कार्यवाही करने की बजाय भ्रष्ट अधिकारी शिकायतकर्ताओं को बता रहे आदतन शिकायती|

जहां खान विभाग के मंत्री और आला अधिकारी अवैध खनन को रोकने के नित नए प्रयास कर रहे है वहीं बीकानेर के नजदीकी गाँव नाल छोटी मे स्थानीय खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के संरक्षण मे खनन माफिया सरकारी ज़मीनों पर बजरी और बाल क्ले का अवैध खनन कर मोटी कमाई कर रहे है|यह खनन कोई और नहीं बल्कि खनन पट्टाधारकों द्वारा करवाया जा रहा है|राजस्व को भारी नुकसान पहुचा रहे इस अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग अधिकारियों को लगातार अवगत कराये जाने के बावजूद भी ना केवल अवैध खनन को रोकने मे नाकाम रहे उल्टा मामला विभाग के संज्ञान मे लाने वाले शिकायतकर्ताओं को ही आदतन शिकायती बता कर मामले मे लीपापोती करने की नाकाम कोशिश कर रहे है|

मामला बीकानेर मे खनन व्यवसाय से जुड़े जयचंद लाल डागा कंपनी का है जिनके द्वारा विभिन्न खनन पट्टों की आड़ मे सरकारी ज़मीनों और प्लस की जमीनो पर हो रहे अवैध खनन की शिकायतें विभाग को की जा रही थी|

बीकानेर मे मैं॰ जयचंदलाल डागा के खनन पट्टे 16/2006 से जुड़ा है मामला|

श्री भगतराम और श्री त्रिलोक चंद की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि जो कि खसरा नंबरान 97,194 एवं खसरा संख्या 971/195 पर स्थित है, जिसमे से भगतराम की 10 बीघा और त्रिलोक चंद की 10 बीघा हिस्सेदारी थी, पर उनके द्वारा श्री तेज सिंह और श्री जसवंत सिंह को अपना अपना मुखत्यारआम नियुक्त किया गया है|

जमीन मालिकों और मैं॰ जयचंद लाल डागा कंपनी के मध्य वर्ष 2006 मे हुए करार/सहमति/इकरारनामे के अनुसार वर्ष 2006 मे इस कृषि भूमि पर खनन कार्य हेतु बीकानेर की कंपनी मै॰ जयचंद लाल डागा के कर्ताधर्ता श्री जयचंद लाल डागा द्वारा जमीन के मालिकों और उनके मुखत्यारआम क्रमश:श्री भगतराम, श्री त्रिलोक चंद, श्री तेज सिंह और श्री जसवंत सिंह के साथ अगले 20 वर्षो के लिए पंजीकृत करार किया|जिसके तहत भगतराम की 10 बीघा और त्रिलोक चंद की 10 बीघा पर होने वाले खनन की एवज मे उनके मुखत्यारकर्ताओं श्री तेज सिंह और श्री जसवंत सिंह को 40 रुपए प्रति टन ए और बी ग्रेड के माल के पेटे भुगतान करना स्वीकार किया गया|इस दर को प्रति 5 वर्ष पश्चायत 2 रुपए प्रति टन बढ़ाने की भी सहमति जारी की गयी|इस जमीन पर मैं॰ जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा खान विभाग से खनन पट्टा 16/2006 जारी करवा लिया गया|

वर्ष 2017 के बाद से श्री तेज सिंह और श्री जसवंत सिंह की जमीन से खनन नहीं किया लेकिन खान विभाग के रेकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2017-18 मे 38816 टन का रवन्ना जारी करवाया गया ,सरकारी जमीन पर अवैध खनन से सरकार को करोड़ो का चुना|

जमीन मालिकों द्वारा खान विभाग से सूचना के अधिकार के तहत निकलवाये दस्तावेजों के अनुसार,कंपनी द्वारा खनन पट्टे 16/2006 हेतु वर्ष 2017-18 मे विभाग से 38816 टन का रवन्ना जारी करवाया गया लेकिन दोनों जमीन मालिकों के अनुसार इस दरमियान उनकी जमीन पर कोई खनन कार्य कंपनी द्वारा नहीं किया गया और ना ही उन्हे इस दरमियान एक पैसे का भी भुगतान किया गया|ऐसे मे सवाल उठता है कि यह 388816 टन माल किसकी जमीन से निकाला गया?यदि दोनों

जमीन मालिकों (जरिये मुख्त्यारनामा) की जमीन से खनन किया गया तो उसका भुगतान क्यूँ नहीं किया गया और यदि सरकारी जमीन और प्लस की जमीन से खनन किया गया तो खान विभाग ने पेनल्टी क्यूँ नहीं लगाई?यदि यह माल सरकारी और सरप्लस की जमीन से अवैध खनन करके निकाला गया है तो इस 38816 टन के माल पर रॉयल्टी राशि का 10 गुना पेनल्टी वसूलने का प्रावधान है जिसके अनुसार इस कंपनी से 3 करोड़ से अधिक की पेनल्टी वसूल करने का मामला भी बन सकता है|

कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन से जहां जमीन मालिकों को एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया वहीं दूसरी और सरकार को भी 3 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ|जमीन मालिकों के अनुसार यदि 2017 से लेकर आजतक के रवन्ना की जांच की जाए तो यह पेनल्टी राशि कई करोड़ तक पहुँच सकती है|क्यूंकी कंपनी द्वारा वर्ष 2017 के बाद से उन्हे उनकी जमीन से निकलने वाले माल का भुगतान लगभग बंद ही कर दिया था,जबकि इस बीच उनकी जमीन से खनन के रवन्ना जारी होते रहे|

कंपनी के अवैध खनन की शिकायत अब खान मंत्री के पास|

बीकानेर के खान अधिकारियों और खनन कंपनी के आपसी गठजोड़ की शिकायत अब शिकायतकर्ता द्वारा खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया से की है और कंपनी द्वारा की गयी अवैध खनन की जांच के लिए, कंपनी द्वारा अब तक उनको जारी किए गए विभिन्न खनन पट्टों मे किए वैध/अवैध खनन और संबन्धित खनन क्षेत्रों की ड्रोन और सेटेलाइट इमेज तकनीक से जांच करवा कर करोड़ो रुपयों के राजस्व वसूलने की मांग की गयी है|

कंपनी द्वारा 01/04/2016 से 31/03/2018 तक सरकार को दी गयी रॉयल्टी राशि का ब्यौरा|इस अवधि के बीच 38816 टन माल उठाया गया|

कंपनी द्वारा वर्ष 2017 और वर्ष 2018 मे दोनों जमीन मालिकों को कोई भुगतान नहीं किया गया|जमीन मालिकों के अनुसार यह माल सरकारी जमीन और प्लस की जमीन से अवैध खनन कर निकाला गया था|

यदि माईनिग लीज 16/2006 के संबंध मे शुरू से लेकर आज तक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए माईनिग प्लान,खनन पट्टों की सेटेलाइट इमेज,ड्रोन इमेज,जमीन मालिकों को किए गए भुगतान,कंपनी की आयकर विवरणिका,खनिज विभाग को प्रस्तुत मासिक रिटर्न,वार्षिक रॉयल्टी निर्धारण प्रपत्रों के आंकड़ों की तुलना की जाये तो करोड़ो रुपयों की कर/रॉयल्टी चोरी और पेनल्टी के मामले का खुलासा किया जा सकता है|

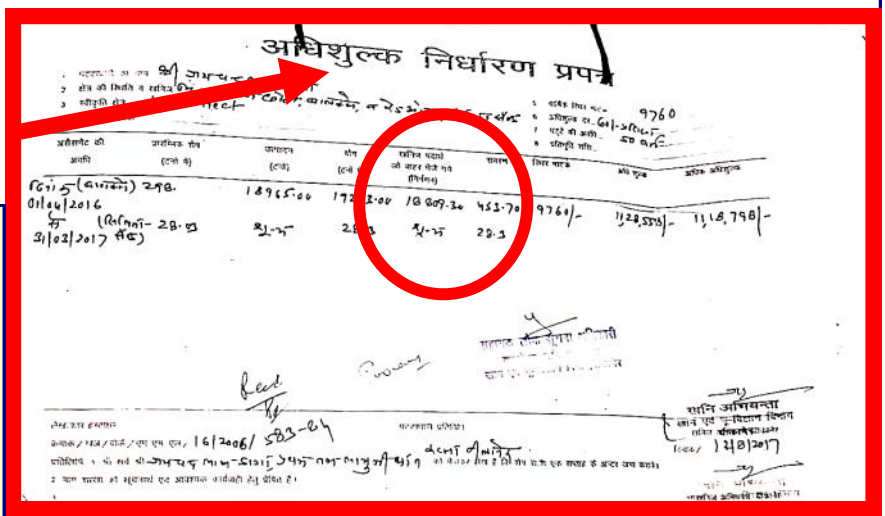
अधिशुल्क निर्धारण प्रपत्र

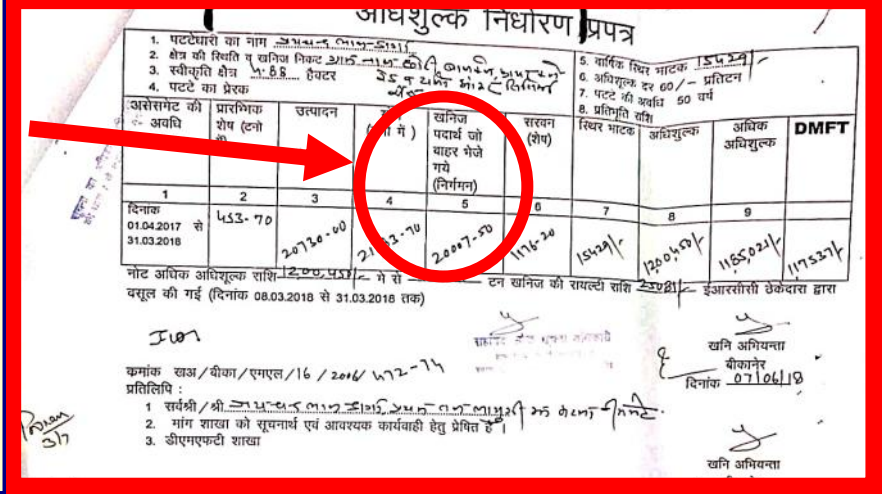
अधिशुल्क निर्धारण प्रपत्र

शिकायतकर्ता का दावा जयचंद लाल डागा कंपनी के लगभग हर खनन पट्टे की आड़ मे हो रहा अवैध खनन|स्थानीय खनिज अभियंता श्री राजेंद्र बलारा का वृहदहस्त कंपनी के सर पर|

इस मामले मे शिकायतकर्ता द्वारा दावा किया जा रहा है कि स्थानीय खनिज अभियंता श्री राजेंद्र बलारा का वृहदहस्त कंपनी के सर पर है,जिसके चलते खंपनी खुले आम अपने हर खनन पट्टे की आड़ मे अवैध खनन कर रही है और अवैध खनन के परिवहन के लिए ई रवन्ना जारी करवा रही है|

यदि कंपनी को जारी समस्त खनन पट्टों के आज तक के रेकॉर्ड,इन खनन पट्टों के संबंध मे शुरू से लेकर आज तक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए माईनिग प्लान,खनन पट्टों की सेटेलाइट इमेज,ड्रोन इमेज,जमीन मालिकों को किए गए भुगतान,कंपनी की आयकर विवरणिका,खनिज विभाग को प्रस्तुत मासिक रिटर्न,वार्षिक रॉयल्टी निर्धारण प्रपत्रों के आंकड़ों की तुलना की जाये तो करोड़ो रुपयों की कर/रॉयल्टी चोरी और पेनल्टी के मामले का खुलासा किया जा सकता है|

नाल छोटी में चल रही मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाने की बड़ी साजिश

खनन कारोबारियों और खनिज विभाग अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है सारा खेल

कर रहे है बजरी का अवैध खनन

बीकानेर। शहर से महज पन्द्रह किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव छोटी नाल मास्टर प्लान के अंदर आता है। हाईकोर्ट निर्देशों के अनुसार नई माईन्स के लिये यह गांव प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसके बावजूद इस गांव में खनन कारोबारियों को नई माईन्स के लिये पट्टे जारी की साजिश चल रही है। इस साजिश में खनिज विभाग के स्थानीय अधिकारी भी शामिल है। मजे कि बात तो यह है कि एक तरफ राज्य सरकार मास्टर प्लान लागू करने की योजना बना रही है,वहीं मोटी कमाई के चक्कर में खनिज विभाग के अधिकारी खनन कारोबारियों से सांठगांठ कर इस क्षेत्र में नई माईन्स आवंटन की कार्ययोजना को मूर्तरूप देने में तुले है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले गांव छोटी नाल में नई माईन्स के पट्टे जारी करने पर रोक लगनी चाहिए लेकिन खनिज विभाग के कथित ईमान अफंसर हाईकोर्ट निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के प्रयास में जुटे है। नाल छोटी के 'ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में शासन-प्रशासन को लगातार शिकायते करने के बावजूद भी निरोधात्मक कार्यवाही नहीं हो रही है।

सरकारी जमीनों पर हो रहा अवैध खनन

वहीं नजदीकी गांव नाल छोटी में खनिज विभाग और पुलिस की नाकामी से खनन माफिया सरकारी जमीनों पर बजरी और क्ले मिट्टी का अवैध खनन कर मोटी कमाई कर रहे है। इन खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिये खनिज विभाग अधिकारियों को लगातार अवगत कराये जाने के बावजूद भी वह कार्यवाही में नाकाम बने हुए है। खनन माफिया यहां सरकार की ओर से लीज पर आवंटित जमीनों की आड़ लेकर सरकार की जमीनों का खोखली कर बड़े पैमाने पर बजरी और क्ले मिट्टी का खनन कर रहे है। मजे कि बात तो यह है कि नाल छोटी में खनन माफिया कोई गैर नहीं बल्कि लीज पर आवंटित खानों के मालिक है जो ना सिर्फ अवैध खनन कर रहे है बल्कि घौर अनियमितताएं बरत रहे है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से नियमानुसार इन खान मालिकों को अपनी खानो के आस-पास हरियाली के लिये पेड़-पौधे लगाने चाहिए,लेकिन मोटी कमाई पर फोकस रखने वाले खान मालिक नियमों की अनदेखी कर रहे है और इन पर कार्यवाही के लिये जिम्मेदार खनि विभाग के अधिकारी मूकदर्शी बने मोटी कमाई में जुटे है। गरज के पास पुख्ता खबरों के मुताबिक नाल छोटी में खनन व्यवसायी जयचंद लाल डागा की पत्नि श्रीमति राजदेवी डागा के नाम से आवंटित को 5 हैक्टेयर क्षेत्र में खनन का लाईसेंस प्राप्त है लेकिन यह 7 हैक्टैयर क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे है। इसके अलावा जयचंद लाल डागा को 4.88 हैक्टेयर क्षेत्र में खनन का लाईसेंस जारी है लेकिन यह छह हैक्टेयर में अवैध खनन कर रहे है। इसी प्रकार खनन व्यवसायी विजय कुमार शर्मा को 42.55 हैक्टेयर क्षेत्र में खनन का लाईसेंस प्राप्त है लेकिन भी यह भी राजकीय जमीन पर अवैध खनन के लिप्त है।

खबर है कि नाल छोटी एवं नाल बड़ी के खदान क्षेत्रों मे क्ले की खानों के मालिक ओवरबर्डन के रूप में बजरी का अवैध खनन कर रहे है। हालांकि खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग ने इस क्षेत्र में क्ले के खानों से ओवरबर्डन के रूप में निकलने वाली बजरी को अप्रधान खनिज मानकर उसका भी समावेश करवाने की अनिवार्यता भले ही लागू कर दी है लेकिन नाल छोटी एवं नाल बड़ी के क्ले खान मालिक क्ले के साथ बजरी का खनन भी धड़ले से कर रहे है और विभाग के जिम्मेदारी अधिकारी इनसे जुर्माना वसूलने के बजाय महज नोटिस देकर इतिश्री कर रहे है। जानकारी के अनुसार बीकानेर खनि अभियंता ने पिछले माह नाल छोटी एवं नाल बड़ी के सभी क्ले के खान मालिकों को नोटिस जारी कर ओवरबर्डन बजरी-ग्रेवल का भी खनिज के तौर पर समावेश करवाने के लिए कहा था। इसके बावजूद अब तक एक ने भी ओवरबर्डर बजरी-ग्रेवल का समावेश करवाने के लिए आवेदन नहीं किया और आज भी क्ले के साथ ओवरबर्डन के रूम में करोड़ो की बजरी का अवैध खनन कर रहे है।

नाल बड़ी में बजरी और क्ले मिट्टी का अवैध खनन चरम पर

खनन माफियाओं के साथ मोटी कमाई में भागीदार बने है खनिज विभाग अधिकारी

बीकानेर। नजदीकी गांव नाल बड़ी में खनिज विभाग और पुलिस की नाकामी से खनन माफिया सरकारी जमीनों पर बजरी और क्ले मिट्टी का अवैध खनन कर मोटी कमाई कर रहे है। राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे इन खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिये खनिज विभाग अधिकारियों को लगातार अवगत कराये जाने के बावजूद भी वह कार्यवाही में नाकाम बने हुए है। यह खनन माफिया सरकार की ओर से लीज पर आवंटित जमीनों की आड़ लेकर सरकार की जमीनों का खोखली कर बड़े पैमाने पर बजरी और क्ले मिट्टी का खनन कर रहे है। नाल बड़ी मे अवैध खनन के बाद बजरी और क्ले मिट्टी से भरे ट्रक,ट्रेलर समेत अन्य वाहन थाने के सामने से गुजरते है लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करती। मजे कि बात तो यह है कि नाल बड़ी में खनन माफिया कोई गैर नहीं बल्कि लीज पर आवंटित खानों के मालिक है जो ना सिर्फ अवैध खनन कर रहे है बल्कि घौर अनियमितताएं बरत रहे है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से नियमानुसार इन खान मालिकों को अपनी खानो के आस-पास हरियाली के लिये पेड़-पौधे लगाने चाहिए,लेकिन मोटी कमाई पर फोकस रखने वाले खान मालिक नियमों की अनदेखी कर रहे है। खास बात यह है कि नाल गांव के पास बजरी और क्ले मिट्टी की इन खदानों के पास ही भारतीय वायु सेना का हवाई अड्डा है,सामरिक दृष्टी से महत्वपूर्ण इस हवाई अड्डें पर खनन माफियाओं की कुदृष्टी है जिन्होने हवाई अड्डे के आस पास मिट्टी ढेर लगा दिये है,जिससे लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। वायु सेना के अधिकारी इस संबंध में खनिज अभियंताओं समेत जिला प्रशासन को अनेक दफा अवगत करवा चुके है लेकिन फिर हवाई अड्डे के आस-पास से मिट्टी नहीं हटाई जा रही है। बड़ी बात यह है कि नाल गांव मास्टर प्लान में आता है,लेकिन खनन माफियाओं द्वारा यहां नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और खनि विभाग के अधिकारी मूकदर्शी बने खनन माफियाओं के साथ मोटी कमाई में भागीदारी बने है।

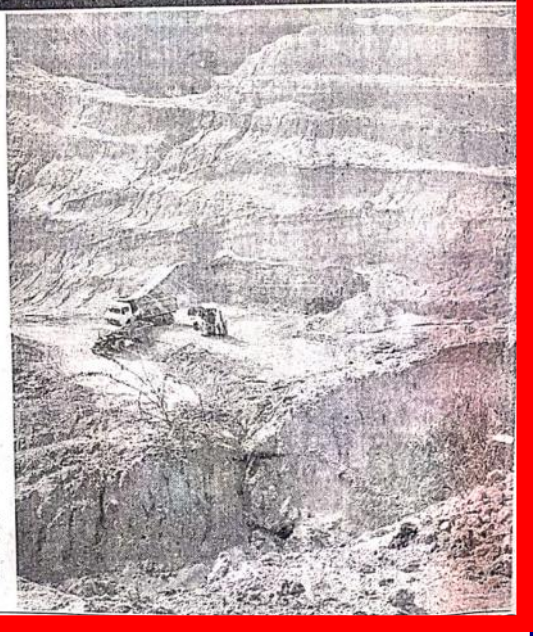

बीकानेर के खनिज अभियंता श्री आरएस बलारा इस मामले मे हुई अवैध खनन की शिकायत पर कार्यवाही की बजाय ले रहे कंपनी का पक्ष|

बीकानेर के खनिज अभियंता श्री आरएस बलारा के भ्रष्टाचार के किस्से आपको पहले ही बता चुके है|रिश्वत प्रकरण के एक मामले मे श्री बलारा लगभग 2.5 सालों से फरार रहे|लेकिन इसके बावजूद खान विभाग द्वारा उन्हे बीकानेर के खनिज अभियंता जैसी मलाईदार फील्ड पोस्टिग पर लगाया गया है|चूंकि मै॰ जय चंद लाल डागा क्षेत्र की बड़ी खनन कंपनियों मे से एक है लिहाजा उनकी हाजिरी बजाना श्री बलारा की मजबूरी भी है और माल बटोरने का जरिया भी|इसी के चलते उनके द्वारा जमीन मालिकों क्रमश:श्री तेज सिंह और श्री जसवंत सिंह और उनके बेटों राहुल सिंह और शेवेंद्र सिंह द्वारा की जा रही अवैध खनन की शिकायतों को तवज्जो नहीं देते हुए,मै॰ जय चंद लाल डागा कंपनी के पक्ष लेते हुए एक झूठी और भ्रामक तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की|

अपनी रिपोर्ट मे श्री आरएस बलारा द्वारा बताया गया कि खनिकार्यदेशक द्वारा अपनी दिनांक 29/06/2021 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार वक्त निरीक्षण एमएल 03/2000 मे खनन कार्य बंद पाया गया|खनन पट्टा क्षेत्र मे जाने का रास्ता टूटा पाया गया|जिसे देखने से प्रतीत होता है कि खनन कार्य काफी समय से बंद है|खनन पिट की तारबंदी की हुई पायी गयी|तथा खनन पट्टा 16/2006 वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र मे खनन कार्य बंद पाया गया|उक्त दोनों खनन पट्टों के बीच शिकायतकर्ता की जमीन होना बताया|चूंकि इन दोनों खनन पट्टों के बीच गेप एरिया कम है जिससे इनका पिट एक साथ जुड़ा हुआ है|

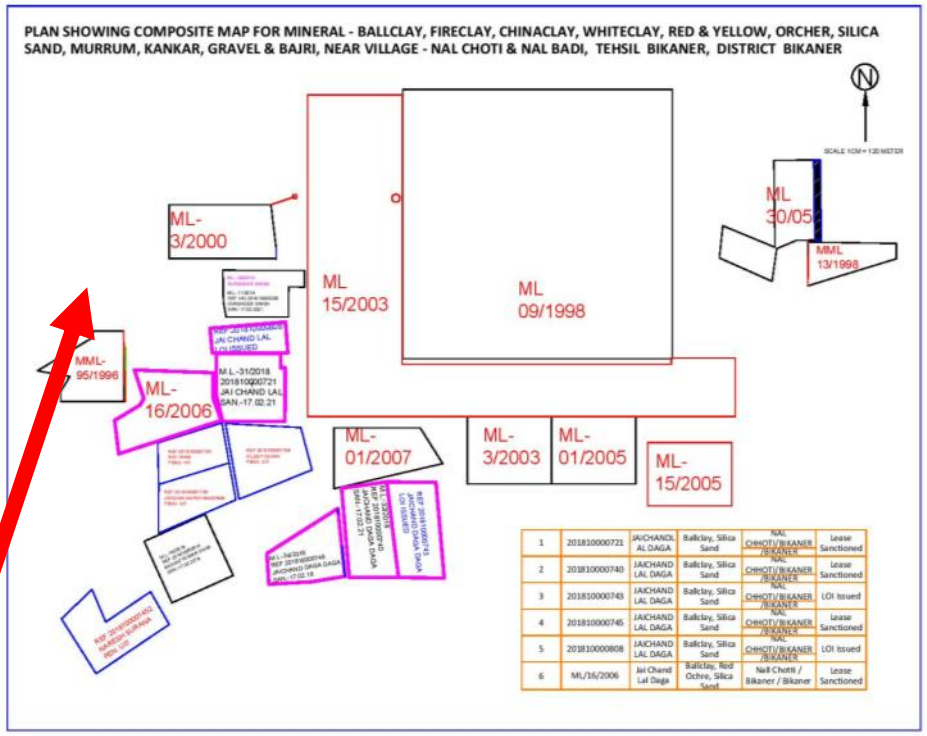

जबकि हकीकत यह है कि यदि सेटेलाइट इमेज,ड्रोन से इन दोनों खनन पट्टों और इनके माईनिंग प्लान की तुलना की जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा|क्यूंकी कंपनी 2013 से इन खनन क्षेत्रों के पास स्थित सरकारी जमीन पर अवैध खनन कर रही है और सरकार को करोड़ो रुपयों का चुना लगा रही है|वहीं बीकानेर के खनिज अभियंता श्री आरएस बलारा शिकायतों पर टालमटोल कर,अवैध खननकर्ता श्रीमति राज देवी डागा और जयचंद लाल डागा को अवैध खनन से हुए गड्डो को भरने का समय दे रहे है|

क्या खनिज अभियंता श्री बलारा जवाब बताने का श्रम करेंगे कि एमएल 3/2000 और एमएल 16/2006 के बीच की जमीन का मालिक कौन है?

क्या यह दोनों खनन पट्टे उन्हे नजदीक प्रतीत हो रहे है?

राजस्थान सरकार
कार्यालय : खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर

शिकायतकर्ता राहुल सिंह पुत्र तेजसिंह एवं शेवेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह द्वारा प्रस्तुत शिकायत एम एल संख्या 16/2006 एवं 3/2000 पर संक्षिप्त नोट

श्री जयचंद लाल डागा पुत्र श्री चम्पालाल डागा निवासी बागडी मौहल्ला बीकानेर के पक्ष में एक खनन पटटा एम एल 16/2006 निदेशालय के आदेश कमांक 286–297 दिनांक 04.02.2008 से क्षैत्रफल 4.88 हैक्टर निकट ग्राम नाल छोटी तह व जिला बीकानेर में खनिज बालक्ले , रेड व यलो ऑकर, सिलिका सेण्ड संविदा निष्पादन की तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। खनन पटटे का संविदा निष्पादन 09.7.2009 से किया जाकर पंजियन दिनांक 10.7.2009 को हुआ। उक्त खनन पटटा दिनांक 10.7.2009 से प्रभावशील है। उक्त खनन पटटा में क्षैत्रफल 4.88 हैक्टर खसरा संख्या 97, 194, 971/195 खातेदारी भूमि में है। उक्त खनन पटटा स्वीकृति से पूर्व खनन पटटा धारी द्वारा उक्त खसरों की सहमति खाताधारों (श्री तिलोकचंद पुत्र भागीरथ जाति मोची एवं भगराम पुत्र कानाराम जाति धोबी) से पंजियन शुदा प्राप्त की हुयी है।

उक्त खनन पटटा के सम्बन्ध में एक शिकायत श्री तेजसिंह राठोड द्वारा दिनांक 19.8.2014 को प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया कि श्री जयचंद लाल डागा द्वारा खान में अवैध खनन किया गया है, लीज में सुरक्षा प्रबंध नहीं है, मजदूरों हेतु कोई सुविधा नहीं है, पीने का पानी मजदूरों को एसा पीना पडता है जो जानवर भी नहीं पी सकते, तथा दूसरी शिकायत दिनांक 22.8.2014 को प्रस्तुत की गई जिसमें अवैध खनन के बारे में की गई। तीसरी शिकायत दिनांक 37.11.2014 प्रस्तुत की गई जिसमें उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की गई ।उक्त शिकायतों पर कार्यालय खनि कार्यदेशक को पत्रांक 3947 दिनांक 18.12.2014 से क्षैत्र की मौका जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया । खनिकार्यदेशक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.12.2014 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वक्त निरीक्षण शिकायतकर्ता की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनायी गई जिसमें सिमा सतम्भ चैक किये गये जिसके अनुसार कोई खनन कार्य खनन पटटा क्षैत्र से बाहर नहीं होना पाया गया। तथा मौका देखने से प्रतीत होता है कि काफी समय से वर्तमान में कोई खनन कार्य नहीं हो रहा। मौका रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर अंकित है।

श्री तेजसिंह द्वारा पुनः शिकायत दिनांक 14.7.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया कि पटटाधारी द्वारा नियमों की पालना नहीं की जा रही , खनन पटटा क्षैत्र में पिलर नहीं है, अवैध खनन कर सरकार को नुकसान पहुचाया जा रहा है। इसके पश्चात श्री शेवेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसंवन्त सिंह एवं राहुत सिंह पुत्र तेजसिंह द्वारा एक शिकायत दिनांक 03.6.2021 को प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया कि पटटाधारी द्वारा नियमों की पालना नहीं की जा रही , खनन पटटा क्षैत्र में पिलर नहीं है, अवैध खनन किया जा रहा है, जांच करावें। इस पर खनि कार्यदेशक और पटटाधारी को दिनांक 7.6.2021 जारी किया गया। जिस पर

श्री बलारा द्वारा जमीन मालिकों श्री राहुल सिंह एवं श्री शेवेंद्र सिंह की शिकायतों के संबंध मे राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी झूठी और भ्रामक तथ्यात्मक रिपोर्ट

खनिकार्यदेशक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.6.2021 से क्षैत्र की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की । जिसमें उल्लेख किया गया कि वक्त निरीक्षण एम एल संख्या 03/2000 में खनन कार्य बंद पाया गया। खनन पटटा क्षैत्र में जाने का रास्ता टुटा हुआ पाया गया जिसे देखने से प्रतीत होता है कि खनन कार्य काफी समय से बंद है। खनन पिट की तारबंदी की हुयी पायी गयी। तथा खनन पटटा 16/2006 वक्त निरीक्षण खनन पटटा क्षैत्र में खनन कार्य बंद पाया गया। उक्त दोनों खननपटटों के बीच शिकायत कर्ता की जमीन होना बताया। चुकिं इन दोनों खनन पटटों के बीच में गेप एरिया कम है जिससे इनका पिट एक साथ जुडा हुआ है।

यह कि श्री जयचंद लाल डागा के पक्ष में खनन पटटा एम एल संख्या 16/2006 , 34/2018 , 32/2018 ,31/2018 स्वीकृत शुदा है जिसमें खनन पटटा 34/2018 , 32/2018 ,31/2018 स्वयं की खातेदारी में स्वीकृत शुदा है तथा 16/2006 खातेदारों की सहमति से श्री जयचंदलाल डागा के पक्ष में स्वीकृत है। एक खनन पटटा 03/2000 श्रीमती राजदेवी डागा पत्नी श्री जयचंदलाल डागा के पक्ष में स्वीकृत है। पूर्व में उक्त शिकायत कर्ता तेजसिंह द्वारा खनन पटटों के सम्बन्ध में अवैध खनन की नियमों एवं शर्तों की पालना जिला कलक्टर महोदय , सम्पर्क पोर्टल , सूचना के अधिकार के तहत शिकायतें करना एवं सूचना/दस्तावेज प्राप्त करना तथा विभाग व खननपटटाधारी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता रहा है।

श्री तेजसिंह के पश्चात उनके पुत्र श्री राहुल सिंह एवं शेवेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह द्वारा खनन पटटों के सम्बन्ध में अवैध खनन की नियमों एवं शर्तों की पालना जिला कलक्टर महोदय , तहसीलदार महोदय , सम्पर्क पोर्टल , सूचना के अधिकार के तहत शिकायतें करना एवं सूचना/दस्तावेज प्राप्त करना तथा विभाग व खननपटटाधारी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।

R.S. Balara
ME Bikaner

सेवा मे

श्रीमान खनि अभियन्ता
खनन एवं भू विज्ञान विभाग
बीकानेर

विषय :– खनन पट्टा 16/06 खनिज बाल क्ले रेड एण्ड येलो ऑकर एण्ड सिलिका सेन्ड नाल, निकट ग्राम छोटी नाल, तहसील व जिला बीकानेर

MINERALS JAICHAND LAL DAGA
Jaichand Lal Daga Group
(Mined and Marketed by Jaichand Lal Daga)
Office : 1st Floor Labhuji Ka Kalla, Kote Gate, Bikaner - 334001 Rajasthan, INDIA
Tel :+91-151-2220380, 2521621 • Fax : +91-151-2522768
E-mail : info@jldminerals.com • visit : www.jldminerals.com
Mines Owners & Suppliers of Ball Clay, China Clay, Fire Clay, Low Fusion Clay, Yellow & Red Ochre, Silica Sand etc.

हृदय जी,

हमने खनन पट्टा 16/06 खनिज बाल क्ले व सिलिका सेन्ड निकट ग्राम छोटी नाल बीकानेर में स्वीकृत हुआ है इसके विषय में निम्न लिखित व्यक्तियों से सहमति लेकर पट्टा स्वीकृत कराया है

1. त्रिलोकचन्द पुत्र भागीरथ जाति मोची कुचीलपुरा इसका सहमति पत्र रजिस्टर संलग्न कर रहे है।
2. भगवानाराम पुत्र कानाराम जाति मोची रानीसर इसका सहमति पत्र रजिस्टर संलग्न कर रहे है।
3. आपसी सहमति विलेख त्रिलोकचन्द मोची भगवानाराम धोबी तेजसिंह व जसवन्त सिंह के मध्य हुआ उसकी फोटो कॉपी संलग्न कर रहे है।
4. उपरोक्त खसरो का जमाबन्दी संलग्न कर रहे है।
5. तेजसिंह व जसवन्त सिंह इसके पहले इस जमीन को लक्ष्मीनारायण जोशी को बजरी व सफेद मिट्टी के खनन के लिए दी थी। इसकी लीज कॉपी संलग्न कर रहे है।
6. तेजसिंह व जसवन्त सिह ने थाना नाल मे शिकायत दर्ज करवाई थी इस पर थाना अधिकारी ने तहसीलदार बीकानेर से सम्पर्क कर नाल पटवारी व 2 ASI थानाअधिकारी के समक्ष व 2 पड़ौसियों के समक्ष माप करवा दिया इसकी रिपोर्ट संलग्न है।
7. तेजसिंह व जसवन्त सिंह ने त्रिलोक मोची व भगवानाराम धोबी को जमीन खरीदने के रूपये दिए हुए थे, इसके बदले में जो बाल क्ले निकालने पर 40 रू. प्रतिटन के हिसाब से रूपय देने पर दोनो पक्षों ने सहमति दी थी। यह पेमेन्ट जयचन्द लाल डागा हर माह निर्गमन के हिसाब से तेजसिंह व जसवन्त सिंह को देंगें इसका स्वीकृति विलेख की प्रतिलिपि संलग्न कर रहे हैं।

मै॰ जय चंद लाल डागा कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब जिसमे जहां वह एक तरफ वह कंपनी और शिकायतकर्ताओं श्री तेजसिंह और श्री जसवंत सिंह के साथ हुए करार की बात दोहरा रहे है वहीं दूसरी और उन्हे आदतन शिकायती बता कर ब्लेकमेल करने का भी इल्जाम लगा रहे है|अपने इस जवाब मे उन्होने अवैध खनन के संबंध मे कोई टिप्पणी करना मुनासिफ़ नहीं समझा|

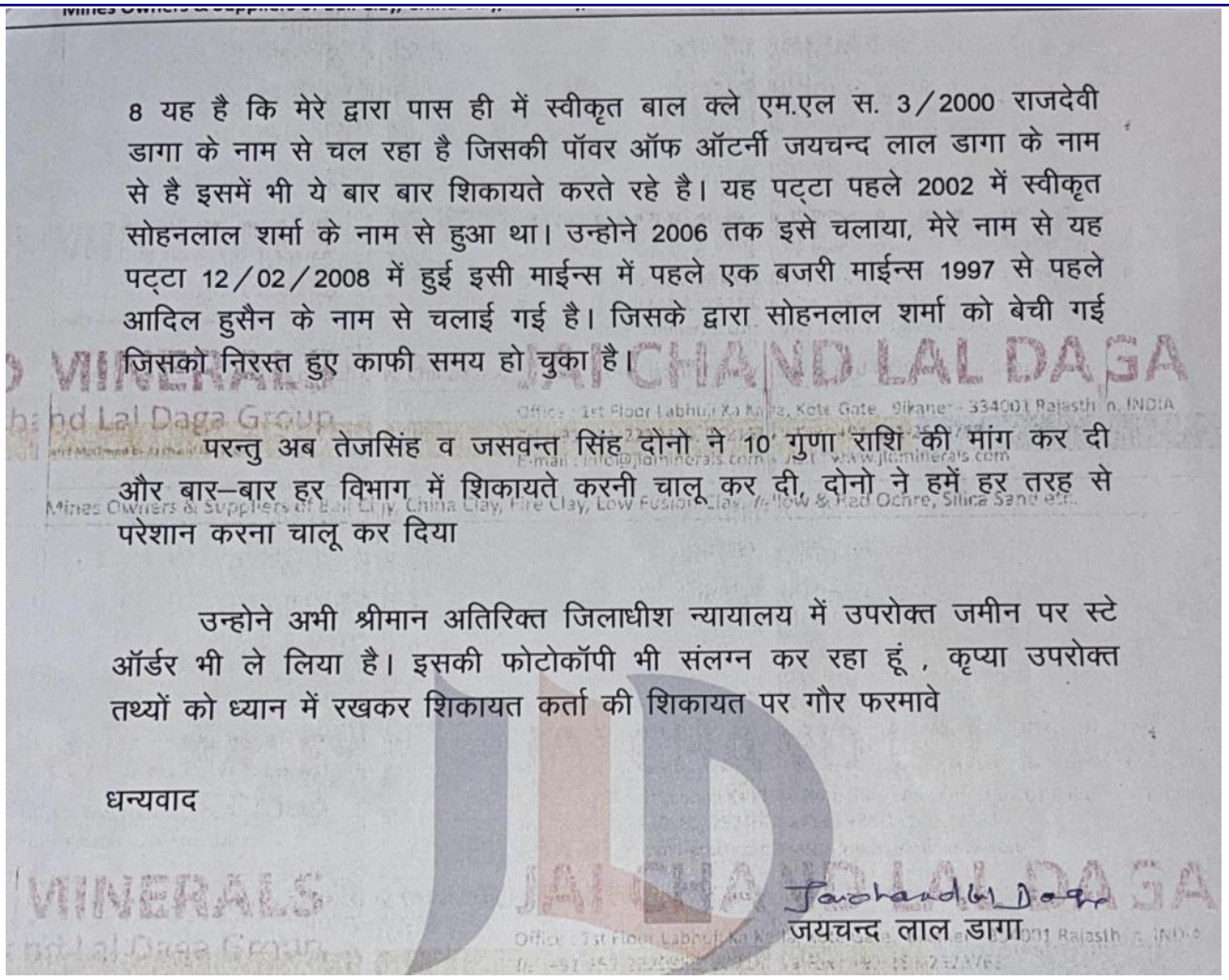

8 यह है कि मेरे द्वारा पास ही में स्वीकृत बाल क्ले एम.एल स. 3/2000 राजदेवी डागा के नाम से चल रहा है जिसकी पॉवर ऑफ ऑटर्नी जयचन्द लाल डागा के नाम से है इसमें भी ये बार बार शिकायते करते रहे है। यह पट्टा पहले 2002 में स्वीकृत सोहनलाल शर्मा के नाम से हुआ था। उन्होने 2006 तक इसे चलाया, मेरे नाम से यह पट्टा 12/02/2008 में हुई इसी माईन्स में पहले एक बजरी माईन्स 1997 से पहले आदिल हुसैन के नाम से चलाई गई है। जिसके द्वारा सोहनलाल शर्मा को बेची गई जिसको निरस्त हुए काफी समय हो चुका है।

परन्तु अब तेजसिंह व जसवन्त सिंह दोनो ने 10 गुणा राशि की मांग कर दी और बार–बार हर विभाग में शिकायते करनी चालू कर दी, दोनो ने हमें हर तरह से परेशान करना चालू कर दिया

उन्होने अभी श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश न्यायालय में उपरोक्त जमीन पर स्टे ऑर्डर भी ले लिया है। इसकी फोटोकॉपी भी संलग्न कर रहा हूं , कृप्या उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर शिकायत कर्ता की शिकायत पर गौर फरमावे

धन्यवाद

जयचन्द लाल डागा

श्री बलारा के जवाब से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब की नकल कर, अपना पक्ष तैयार किया गया है|जबकि उन्हे राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप अवैध खनन की गुप्त रूप से जांच करवानी चाहिए थी,जिसमे वह पूर्णतया असफल नजर आ रहे है|जिस व्यक्ति पर अवैध खनन के आरोप लग रहे है, खान विभाग के अधिकारी पत्र लिखकर उसी को सूचित कर रहे हैक्या कभी कोई आरोपी स्वयं अपना गुनाह कबुल करता है?इस प्रकार का पत्राचार कर आखिर क्यूँ श्री बलारा अवैध खनन के आरोपी को मौका दे रहे है?

सरकार को प्रस्तुत की गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट मे श्री बलारा के कथन	हमारे सवाल?
• खनिकार्यदेशक द्वारा अपनी दिनांक 29/06/2021 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार वक्त निरीक्षण एमएल 03/2000 मे खनन कार्य बंद पाया गया|खनन पट्टा क्षेत्र मे जाने का रास्ता टूटा पाया गया|जिसे देखने से प्रतीत होता है कि खनन कार्य काफी समय से बंद है|खनन पिट की तारबंदी की हुई पायी गयी|तथा खनन पट्टा 16/2006 वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र मे खनन कार्य बंद पाया गया| • उक्त दोनों खनन पट्टों के बीच शिकायतकर्ता की जमीन होना बताया|चूंकि इन दोनों खनन पट्टों के बीच गेप एरिया कम है जिससे इनका पिट एक साथ जुड़ा हुआ है|	• जब खनिकार्यदेशक द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 29/06/2021 को ही प्रस्तुत कर दी गयी थी तो श्री बलारा द्वारा उसे राहुल सिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी आरटीआई आवेदन के जवाब दिनांक 05/08/2021 मे क्यूँ नहीं दी गयी?क्या खनन पट्टों एमएल 03/2000 और 16/2006 पर विभागीय नियमानुसार लीज पीलर लगवाए गए है?जब शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत मे यह बताया कि इन दोनों खनिज पट्टों पर अवैध खनन किया जा चुका है तो उसके बावजूद सेटेलाइट इमेज और ड्रोन द्वारा पुराने हो चुके अवैध खनन की जानकारी क्यूँ नहीं जुटाई गयी?क्या खान विभाग अवैध खनन की जांच के लिए अभी तक पुराने तरीको पर ही निर्भर है?क्या मै॰ जय चंद लाल डागा कंपनी द्वारा अपने विभिन्न खनन पट्टों मे विभाग को प्रस्तुत किए गए माईनिंग प्लान के अनुसार ही खनन किया जा रहा है| • श्री बलारा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे झूठ बोला गया कि इन दोनों खनन पट्टों के बीच शिकायतकर्ता की जमीन है जबकि शिकायत कर्ता की जमीन पर तो खनन पट्टा 16/2006 जारी किया गया था और खनन पट्टों एमएल 03/2000 और 16/2006 के बीच सरकारी जमीन स्थित है जिस पर से 2013 से अवैध खनन किया जा रहा था,जिसकी जांच की मांग ही शिकायतकर्ता कर रहे है|
• श्री तेज सिंह और जसवंत सिंह के पुत्रों श्री राहुल सिंहऔर शेवेंद्र सिंह द्वारा खनन पट्टों के संबंध मे अवैध खनन की नियमों एवं शर्तों की पालना संबन्धित शिकायतें कलेक्टर महोदय,तहसीलदार महोदय,संपर्क पोर्टल,सूचना के अधिकार के तहत शिकायतें कर,विभाग और खननपट्टाधारी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है|	• राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध ज़ीरो टोलरेंस की नीति अपनायी जा रही है,इस स्थिति मे क्या खनिज अभियंता अवैध खनन की जानकारी देने वालों को हतोत्साहित नहीं कर रहे है? • क्या अपने हक की आवाज उठाना गहलोत सरकार मे गुनाह है? • क्या अवैध खननकर्ता के पक्ष मे जवाब देकर,उसका पक्ष लेकर, खनिज अभियंता श्री बलारा अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे है?

काले धन का खेल,क्या इन्कम टेक्स और एसडीआरआई विभाग करेगा कोई कार्यवाही?

जाहिर है कि कंपनी द्वारा किए जा रहे काले धन और अवैध खनन का एक बड़ा खेल सामने आया है जिसे सरकार मे बैठे जिम्मेदार अधिकारी समझना नहीं चाहते है|यह तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि जब कंपनी द्वारा बीते 08-10 सालों मे करोड़ो रुपए की अवैध माईनिग की हो तो इन्कम टेक्स को कितने करोड़ो रुपयों के टेक्स और खान विभाग को अवैध खनन से होने वाली करोड़ो रुपयों की रॉयल्टी/पेनल्टी के पेटे नुक्सान किया गया होगा?

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या यह सही नहीं है कि कंपनी इन खनन पट्टों से लगती सरकारी जमीन और प्लस की जमीन पर वर्ष 2013 से अवैध खनन नहीं कर रही थी?
2. क्या यह सही नहीं है कि कंपनी का श्री जसवंत सिंह से उनकी जमीन पर पड़े करीब 1 लाख टन माल के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा है?यह माल कहाँ से खनन करके निकाला गया?क्या कंपनी इस माल का हिसाब दे सकती है?
3. क्या इन्कम टेक्स विभाग अवैध खनन से हुए काले धन/टेक्स चोरी की जांच करवाएगा?
4. क्या खान विभाग/एसडीआरआई/CAG इस मामले मे रवन्ना मे हुई गड़बड़ियों,रॉयल्टी चोरी और अवैध खनन पर लगने वाली हेवी पेनल्टी आदि प्रकरणों की जांच करेगा?
5. क्या कंपनी द्वारा अपने सभी खनन पट्टों पर अपने प्रस्तुत किए गए माईनिग प्लान के अनुसार कार्य किया जा रहा है?
6. क्या विगत माह खान विभाग द्वारा चलाये गए खान सुरक्षा अभियान के तहत जयचंदलाल डागा कंपनी को जारी किए गए खनन पट्टों की जांच की गयी थी?
7. क्या कंपनी द्वारा अपने प्रस्तुत माईनिंग प्लान के अनुसार अपनी साइटों पर पेड़ लगाए गए है?
8. क्या कंपनी द्वारा अपने ओवरबड़न का निस्तारण निर्धारित स्थान पर किया जा रहा है?
9. क्या कंपनी द्वारा मजदूरों के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था की गयी है?
10. क्या कंपनी द्वारा सुरक्षा मानदंडों के अनुसार बेंचिग सिस्टम का पालन किया जा रहा है?